कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः– 1717 / FP/UK/ROAD/36952/2018 देहरादूनः दिनांक 24 दिसम्बर , 2018

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–देहरादून के अन्तर्गत देहरादून–मसूरी मोटर मार्ग के कि0मी0 17.00 से ग्राम डोमगांव तक ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु 0.7035 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online File No - FP/UK/ROAD/36952/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अतः **देहरादून के अन्तर्गत देहरादून–मसूरी मोटर मार्ग के कि0मी0 17.00 से ग्राम डोमगांव तक ग्रामीण सड़क निर्माण** प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति ~~प्राप्त~~ करने हेतु ~~राज्य सरकार को प्रेषित~~ आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी– **FP/UK/ROAD/36952/2018** तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद– देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
7. परियोजना प्रबन्धक, ग्रामीण निर्माण विभाग, रायपुर, देहरादून।

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग—IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः— जनपद—देहरादून के अन्तर्गत देहरादून—मसूरी मोटर मार्ग के कि0मी0 17.00 से ग्राम डोमगांव तक ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु 0.7035 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online File No - **FP/UK/ROAD/36952/2018**)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत **0.7035** हे0 सिविल सोयम वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी तथा वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः **देहरादून के अन्तर्गत देहरादून—मसूरी मोटर मार्ग के कि0मी0 17.00 से ग्राम डोमगांव तक ग्रामीण सड़क निर्माण के** प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (अनूप मलिक भा.व.से.)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

तिथि : 24 / 12 / 2018
स्थान : देहरादून